



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: सूचना १४२/२०२१/५०२ (५)

दिनांक: ०५/०३/२५

कार्यालय आदेश

अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यवाहक कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण किये जाने के परिणाम स्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य से अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्थान के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जावेगा।

Bma
(प्रो. इन्दु बोरा)

कार्यवाहक कुलपति

प्रतिलिपि:-

- कुलपति सचिवालय
- कुलसचिव कार्यालय
- श्री अमित यादव, लोक सूचना अधिकारी
- निदेशक- संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने बावत ।
- व्यक्तिगत पंजी
- कार्यालय आदेश पंजी
- संबंधित पंजी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: रजि. 282/2021/43(4)

दिनांक: 24/5/23

कार्यालय आदेश

अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यवाहक कुलपति के रूप में प्रभार ग्रहण किये जाने के परिणामस्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य से अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्थान के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जावेगा।

(प्रो. जी.डी.घई)

कार्यवाहक कुलपति

प्रतिलिपि:-

- कुलपति सचिवालय
- कुलसचिव सचिवालय
- श्री एन.एल. रोहिरा, प्रभारी कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी
- निदेशक आईटीसी - संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- व्यक्तिगत पंजी
- कार्यालय आदेश पंजी
- संबंधित पंजी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

98

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)



भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिशन/ 282/2001/ 295 (10)

दिनांक: 23/11/21

कार्यालय आदेश

अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यवाहक कुलपति के रूप में प्रभार ग्रहण किये जाने के परिणामस्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य से अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्थान के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जावेगा।

(Signature)
22/11/21

(प्रो. विवेक पाण्डे)

कार्यवाहक कुलपति

प्रतिलिपि :-

- कुलपति सचिवालय
- कुलसचिव सचिवालय
- वित्त अधिकारी सचिवालय
- प्रो. ए.एस. साजवान, प्रभारी कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी
- निदेशक आईटीसी केन्द्र- संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- समस्त विभागाध्यक्ष/ निदेशक
- समस्त उप कुलसचिव/ सहायक कुलसचिव
- श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, निम्न श्रेणी लिपिक
- व्यक्तिगत पंजी
- सूचना पटल
- संबंधित पंजी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **रजि.मिन 282/2021/257(M)**

दिनांक: **26/10/21**

कार्यालय आदेश

अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रभारी कुलपति के रूप में प्रभार लिये जाने के परिणामस्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य से अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्थान के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जावेगा।

प्रो. एल.एन.सरकार
(प्रो. एल.एन.सरकार)

प्रभारी कुलपति

प्रतिलिपि :-

- कुलपति सचिवालय
- कुलसचिव सचिवालय
- वित्त अधिकारी सचिवालय
- प्रो. ए.एस. साजवान, प्रभारी कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी
- श्री आर.एस. भदौरिया, प्रभारी सहायक कुलसचिव (प्रशासन/ स्थापना)
- डॉ. पुष्पेन्द्र पुरषवानी- निदेशक आईटीसी केन्द्र- संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- समस्त विभागाध्यक्ष/ निदेशक
- समस्त उप कुलसचिव/ सहायक कुलसचिव
- श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, निम्न श्रेणी लिपिक
- व्यक्तिगत पंजी
- सूचना पटल
- संबंधित पंजी

751 4000992
4000992

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 9-14/92-यू 3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)



भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/36/2008/286 ए-य

दिनांक: 11/11/2008

कार्यालय आदेश

अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यवाहक कुलपति के रूप में नियुक्ति के परिणामस्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य से अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्थान के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जावेगा।

(प्रो.एस. मुखर्जी) 11/11/2008

कार्यवाहक कुलपति

प्रतिलिपि:-

- कुलपति सचिवालय
- कुलसचिव सचिवालय
- डॉ. (मेजर) शशि भूषण, उपकुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी
- उप कुलसचिव, प्रशासन /स्थापना)
- डॉ. यतेन्द्र कुमार सिंह, निदेशक आईटीसी केन्द्र- संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- व्यक्तिगत पंजी
- संबंधित पंजी
- कार्यालय आदेश पंजी
-

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर (142)

(सम विश्वविद्यालय)

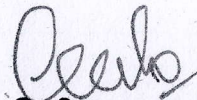
क्रमांक: एडमिन/ 36/2008/ 213 (H)

दिनांक: 03.11.2015

कार्यालय आदेश

डॉ. विवेक पाण्डे, आचार्य को प्रभारी कुलसचिव के रूप में नियुक्ति के परिणामस्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य से संस्थान का लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाता है।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जावेगा।


(प्रो. दिलीप कुमार डुरेहा)
कुलपति

प्रतिलिपि-

- कुलपति सचिवालय
- कुलसचिव सचिवालय
- डॉ. विवेक पाण्डे, प्रभारी कुलसचिव
- उप कुलसचिव (प्रशासन एवं विधि)
- व्यक्तिगत पंजी
- संबंधित पंजी
- कार्यालय आदेश पंजी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: सूचि १४१/१०१/ 505 (H)

दिनांक: 06/03/24

कार्यालय आदेश

तत्काल प्रभाव से डॉ. संजीव यादव, प्रभारी कुलसचिव को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य से संस्थान का लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाता है।

श्री राजेश मित्तल, वरिष्ठ निज सहायक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नोडल अधिकारी का कार्य पूर्ववत् करेंगे एवं डॉ. संजीव यादव, प्रभारी कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी के अवकाश/यात्रा अवकाश/दौरे पर होने की अवधि के दौरान लोक सूचना अधिकारी का कार्य भी संपादित करेंगे।

hna
06/3/24
(प्रोफेसर इन्दु बोरा)

कार्यवाहक कुलपति

प्रतिलिपि:-

- कुलपति सचिवालय
- कुलसचिव सचिवालय
- डॉ. संजीव यादव, प्रभारी कुलसचिव
- श्री अमित यादव, उप कुलसचिव
- श्री राजेश मित्तल, वरिष्ठ निज सहायक
- प्रभारी प्रशासन
- संबंधित पंजी
- कार्यालय आदेश पंजी
- व्यक्तिगत पंजी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार/मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **सूचि 2881/2023/193 (1)**

दिनांक: 06-9-2023

कार्यालय आदेश

तत्काल प्रभाव से श्री अमित यादव, प्रभारी कुलसचिव को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य से लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाता है।

श्री अमित यादव, प्रभारी कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी के अवकाश/यात्रा अवकाश/ दौरे पर होने के फलस्वरूप उक्त अवधि के दौरान श्री राजेश मित्तल, वरिष्ठ निज सहायक लोक सूचना अधिकारी का कार्य के कार्यों को भी संपादित करेंगे।

श्री राजेश मित्तल, वरिष्ठ निज सहायक को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य से नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

[Signature]
06.09.2023

(प्रो.जी.डी. घई)

कार्यवाहक कुलपति

प्रतिलिपि:-

- कुलपति सचिवालय
- कुलसचिव सचिवालय
- श्री अमित यादव, प्रभारी कुलसचिव
- श्री एन.एल. रोहिरा, उप कुलसचिव
- प्रभारी निदेशक- आई.टी.सी. - संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- श्री राजेश मित्तल, वरिष्ठ निज सहायक
- श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, उच्च श्रेणी लिपिक
- समस्त व्यक्तिगत पंजी
- सूचना पटल - संबोधित पंजी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर



विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

11

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: रजिमें/282/2021/92(H)

दिनांक: 30.05.22

कार्यालय आदेश

तत्काल प्रभाव से श्री एन.एल. रोहिरा, प्रभारी कुलसचिव को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य से लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाता है।

श्री अमित यादव, उप कुलसचिव सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नोडल अधिकारी का कार्य पूर्ववत् करेंगे एवं श्री एन.एल. रोहिरा, प्रभारी कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी के अवकाश/यात्रा अवकाश/दौरे पर होने के फलस्वरूप उक्त अवधि के दौरान लोक सूचना अधिकारी का कार्य संपादित करेंगे।

(Signature)
30/5/22
(प्रो. विवेक पांडे)

कार्यवाहक कुलपति

प्रतिलिपि:-

- कुलपति सचिवालय
- कुलसचिव सचिवालय
- श्री एन.एल. रोहिरा, प्रभारी कुलसचिव
- श्री अमित यादव, उप कुलसचिव
- प्रभारी निदेशक- आई.टी.सी. - संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
- श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, निम्न श्रेणी लिपिक
- व्यक्तिगत पंजी
- संबंधित पंजी
- कार्यालय आदेश पंजी

96

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)



भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

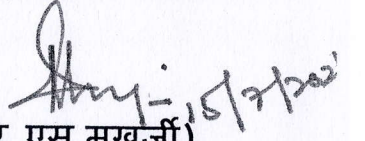
क्रमांक: रजिस्ट्रार/282/2021/107(M)

दिनांक: 15/07/2021

कार्यालय आदेश

तत्काल प्रभाव से प्रो. ए.एस. साजवान, आचार्य एवं प्रभारी कुलसचिव को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य से संस्थान का लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाता है।

श्री आर.एस. भदौरिया, प्रभारी सहायक कुलसचिव (प्रशासन/स्थापना) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य से नोडल अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी के अवकाश/यात्रा अवकाश/ दौरे पर होने की अवधि के दौरान लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाता है।


(प्रोफेसर एस.मुखर्जी)
कार्यवाहक कुलपति

प्रतिलिपि:-

- कुलपति सचिवालय
- कुलसचिव सचिवालय
- प्रो. ए.एस. साजवान आचार्य एवं प्रभारी कुलसचिव
- मेजर (डॉ. शशि भूषण- उप कुलसचिव
- श्री अमित यादव, उप कुलसचिव
- श्री आर. एस. भदौरिया, प्रभारी सहायक कुलसचिव (प्रशासन/स्थापना)
- निदेशक, आई.टी.सी.- संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करें ।
- श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, निम्न श्रेणी लिपिक
- संबंधित पंजी
- कार्यालय आदेश पंजी
- व्यक्तिगत पंजी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No. F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act. 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/36/2008/93

दिनांक: 15/07/19

कार्यालय आदेश

तत्काल प्रभाव से मेजर (डॉ.) शशि भूषण, उप कुलसचिव को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य से संस्थान का लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाता है।

श्री अमित यादव, उप कुलसचिव को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य से संस्थान का नोडल अधिकारी एवं मेजर (डॉ.) शशि भूषण, उप कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी के अवकाश/यात्रा अवकाश/दौरे पर होने की अवधि के दौरान लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाता है।

दिलीप डुरेहा
(प्रोफेसर दिलीप कुमार डुरेहा)
कुलपति

प्रतिलिपि:-

- कुलपति सचिवालय
- कुलसचिव सचिवालय
- मेजर (डॉ.) शशि भूषण, उप कुलसचिव
- श्री अमित यादव, उप कुलसचिव
- संबंधित पंजी
- कार्यालय आदेश पंजी
- व्यक्तिगत पंजी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर (142)

(सम विश्वविद्यालय)

क्रमांक: एडमिन/ 36/2008/ 213(H)

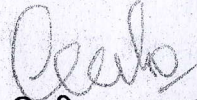
दिनांक: 03.11.2015

(262)

कार्यालय आदेश

डॉ. विवेक पाण्डे, आचार्य को प्रभारी कुलसचिव के रूप में नियुक्ति के परिणामस्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य से संस्थान का लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाता है।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जावेगा।


(प्रो. दिलीप कुमार डुरेहा)
कुलपति

प्रतिलिपि-

- कुलपति सचिवालय
- कुलसचिव सचिवालय
- डॉ. विवेक पाण्डे, प्रभारी कुलसचिव
- उप कुलसचिव (प्रशासन एवं विधि)
- व्यक्तिगत पंजी
- संबंधित पंजी
- कार्यालय आदेश पंजी